



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072022-237273
CG-DL-E-13072022-237273

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3023]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 2022/आषाढ़ 22, 1944

No. 3023]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 2022/ASHADHA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2022

का.आ. 3181(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1228 (अ), दिनांक 24 मई 2013 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 (नया रारा-28) के 121.800 कि.मी. से 298.450 कि.मी. (घाघरा ब्रिज (इंडो नेपाल सीमा) से वाराणसी खण्ड) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 (नया रारा-28) के घाघरा ब्रिज से वाराणसी खंड के डिज़ाइन कि.मी. 180.420 से कि.मी. 240.340 (विद्यमान कि.मी. 169.070 से कि.मी. 232.140) के सड़क खंड की निचली लंबाई 33.760 कि.मी. और 3.160 कि.मी. (जिनकी लंबाई 0.316 कि.मी. है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनो पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर और बाईपास जिनकी लंबाई 25.844 कि.मी. है, और लागत दस करोड़ या उससे अधिक है, के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनो पर 150% की आधार दर से शुल्क उद्धृत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम०) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृति एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले में अमोरा मोइदीनपुर गांव के निकट एनएच-233 (नया रासा-28) के डिजाइन किमी 227.200 (विद्यमान कि.मी. 219.200) पर	33.760 [10 करोड़ से अधिक की लागत के बाईपास और 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाईपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाईपास की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान होगा:

सारणी – 3						
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब-दूरी (चैनेज)	बाइपास का नाम	आरंभ होते हुए	मिलते हुए	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले में अमोरा मोइदीनपुर गांव के निकट एनएच-233 (नया रासा-	एनएच-233 का कप्तानगंज बाईपास	डिज़ाइन किमी 191.950 (विद्यमान कि.मी. 180.600)	डिज़ाइन किमी 195.850 (विद्यमान कि.मी. 184.100)	3.900	56.50	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों के चार और अधिक लेन के लिए 150%

28) के डिजाइन किमी 227.200 (विद्यमान कि.मी. 219.200) पर	एनएच-233 का आजमगढ बाईपास	डिजाइन किमी 207.250 (विद्यमान कि.मी. 195.500)	डिजाइन किमी 224.750 (विद्यमान कि.मी. 216.750)	17.184	245.360	
	एनएच-233 का मोहम्मदपुर पुर्नसंरक्षण बाईपास	डिजाइन किमी 229.720 (विद्यमान कि.मी. 221.720)	डिजाइन किमी 231.480 (विद्यमान कि.मी. 223.530)	1.760	17.280	
	एनएच-233 का बिंद्रा बाजार बाईपास	डिजाइन किमी 231.650 (विद्यमान कि.मी. 223.700)	डिजाइन किमी 234.650 (विद्यमान कि.मी. 226.450)	3.000	33.00	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी - 4			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई [^] (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ जिले में अमोरा मोइदीनपुर गांव के निकट एनएच-233 (नया रारा-28) के डिजाइन किमी 227.200 (विद्यमान कि.मी. 219.200) पर	0.316 [^]	3.160	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^] व्योरा इस प्रकार है:

क्रम सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	209.367	209.503	बड़ा पुल	0.136
2	218.247	218.427	आरओबी	0.180
कुल				0.316

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष **2022-23** के लिए मासिक पास की दर **315/-**रुपए (तीन सौ पंद्रह रुपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुरात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का **50%** होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष **2007-08** के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत **3374.75 करोड़ रुपए** है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।] प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर **40%** कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. 11015/वाराणसी/एनएच233/टोल अधिसूचना/2020-21]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th July, 2022

S.O. 3181(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1228 (E) dated the 24th May 2013 issued under Section 11 of the National Highway Authority of India Act 1988 (68 to 1988) , the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 121.800 to kilometer 298.450 (Ghaghar Bridge(Indo Nepal Border) to Varanasi section) of National Highway No.233 (New NH-28) in the state of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 33.760 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 3.160 km (having length of 0.316 km) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 25.844 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Ghaghra Bridge to Varanasi section from design kilometer 180.420 to kilometer 240.340 (existing km 169.070 to km 232.140) of National Highway number 233 (New NH-28) in the State of Uttar Pradesh and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km 227.200 (existing km 219.200) of NH-233(New NH-28) near Amora Moiddinpur village in Azamgarh district of Uttar Pradesh.	33.760 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza: -

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Design Km 227.200 (existing km 219.200) of NH-233(New NH-28) near Amora Moiddinpur village in Azamgarh district of Uttar Pradesh.	Kaptanganj Bypass of NH - 233	Design km 191.950 (existing km 180.600)	Design km 195.850 (existing km 184.100)	3.900	56.50	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Azamgarh Bypass of NH - 233	Design km 207.250 (existing km 195.500)	Design km 224.750 (existing km 216.750)	17.184	245.360	
	Mohamadpur Realignment of NH - 233	Design km 229.720 (existing km 221.720)	Design km 231.480 (existing km 223.530)	1.760	17.280	
	Bindra Bazar Bypass of NH - 233	Design km 231.650 (existing km 223.700)	Design km 234.650 (existing km 226.450)	3.000	33.00	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures^ (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design Km 227.200 (existing km 219.200) of NH-233(New NH-28) near Amora Moiddinpur village in Azamgarh district of Uttar Pradesh.	0.316 ^	3.160	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

^The detail is as under:

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	209.367	209.503	Major Bridge	0.136
2	218.247	218.427	ROB	0.180
Total				0.316

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 315 (Three Hundred and Fifteen Only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 3374.75 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No 11015/Varanasi/NH233/TollNotification/2020-21]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.